कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ– /1/सा.प्र.वि./विविध/2023/280 भिलाई, दिनांक 24/5/23

आदेश

छ.ग. वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक/97/107/वित/नियम/चार/2008 रायपुर दिनांक 28.04.2008 के द्वारा राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ाने के निश्चित तथा समयबद्ध अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से वर्तमान में प्रभावशील कमोन्नति योजना को संशोधित करते हुए समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 01.04.2006 से प्रभावशील किया गया है तथा इसका लाभ उन सिविल सेवाओं के सदस्यों को उपलब्ध होगा जिनके लिये पृथक से कोई विशिष्ट योजना प्रभावशील नहीं है ।

उक्त निर्देश कंडिका 3 अनुसार इस योजना के अधीन सिविल सेवा के जिन संवर्गो में सीधी भर्ती होती है उनमें **(अ तथा ब) वर्ग** की सिविल सेवा के सदस्यों को उच्चतर वेतनमान का लाभ नियुक्ति के पश्चात **08 वर्ष** की सेवा अवधि पूर्ण होने पर उपलब्ध होगा। सीधी भर्ती के पदों सेवा में नियुक्ति से तात्पर्य विभागीय भर्ती नियम के अनुसार चयन/प्रतियोगी परीक्षा द्वारा ऐसी सीमित विभागीय चयन परीक्षा द्वारा जिसमें सभी विभाग के कर्मचारी शामिल हो सकते है अथवा संवर्गीय पदोन्नति द्वारा नियुक्ति से है ।

निर्देश कंडिका 6 अनुसार ऐसे शासकीय सेवा जिनके द्वारा इस संशोधित योजना के अंतर्गत देय उच्चतर वेतनमान के लिये निर्धारित आवश्यक सेवा अवधि पूरी की जा चुकी है उनको उक्त निर्धारित सेवा अवधि के पश्चात इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान (जो भी लागू हो) को लाभ दिनांक 01.04.2006 से प्राप्त होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/एफ–1–1/1/वे.आ.प्र./99 दिनांक 17.3.99/19.4.99 एफ–1–1/वे.आ.प्र.दिनांक 17.05.2000 एवं ज्ञापन क्रमांक/एफ–10–3/2007/1–3 दिनांक 28.7.2007 के अनुसार लागू कमोन्नति वेतनमानों के अंतर्गत प्रदत्त लाभ के प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा।

निर्देश कंडिका 10 अनुसार दिनांक 01.04.2006 को यदि उच्चतर वेतनमान की पात्रता के लिये निर्धारित सेवा अवधि अथवा उसके अधिक सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है तो प्रथम उच्चतर वेतनमान की पात्रता दिनांक 01.04.2006 से होगी।

अतः छ.ग. शासन के उपरोक्त आदेश के परिपालन में निकाय स्तर पर महापौर परिषद् के अधिकारिता के अधीन गठित छानबीन समिति की बैठक दिनांक 31.03.2023 में की गई अनुशंसा का महापौर परिषद् के बैठक दिनांक 02.05.2023 के प्रस्ताव क्रमांक 08 में किये गये अनुमोदन अनुसार **सुश्री दीप्ति साहू, प्रोग्रामर का 08 वर्ष की सेवा अवधि दिनांक 21.11.2022 को पूर्ण होने के फलस्वरूप प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान 15600–39100+6600 ग्रेडपें Matrix level-13 (67300-213100 तक) स्वीकृत किया जाता है।**

उपरोक्तानुसार प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान उप संचालक, छ.ग. राज्य संपरीक्षा, दुर्ग से परीक्षण कराये जाने के पश्चात् भुगतान किया जावेगा।

रोहित व्यास
(आई.ए.एस.)
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

क्रमश...........

पृ.क्र. / एफ–   / 1 / सा.प्र.वि. / विविध / 2023 /281   भिलाई, दिनांक 24/5/23

प्रतिलिपि :–

1. महापौर / अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त 1/2, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. लेखाधिकारी / जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. **सुश्री दीप्ति साहू, प्रोग्रामर** नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. उप संचालक, छ.ग. राज्य संपरीक्षा, दुर्ग को सूचनार्थ।
8. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. प्रभारी अधिकारी डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाईड में अपलोड हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई